

व्यक्ति

यह वाद राजस्थान सार्वजनिक
तहसीलदार प्रशासनिक कोड
के अंतर्गत धारा 88 R.O.A. Act
के तहत पेश किया जा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
अपील उठा कर न्याय होना

बुद्धि वैवा
रमेश चंद्र
विशेष विवरण
समाप्त

परीक्षा सफल होकर
वादा में अर्जित किया कि
पूर्व में तहसील प्रशासनिक कोड
संशोधन का काम चल रहा है
संशोधन के दौरान गठ विधान
तहसील प्रशासनिक कोड (अनुच्छेद 81)
प्रकार) सन् 2021-24 के खाता
की जांच को नई पाया कि
खाता सं 259 के खाता 243,
299 के खातों के हिसाब तभी
ही हिसाब द्वारा निर्णय प्राप्त हो
सकता है।

दीपक वैवा
चंद्र लाल वैवा
विशेष विवरण
माधो लाल वैवा
विशेष विवरण
स. मील

तहसीलदार प्रशासनिक कोड
फंड में निवेश किया जा रहा है।
कोड के अंतर्गत में निवेश रहे।
निवेश का निवेश किया
फंड में निवेश किया जा रहा है।
मार्ग किया। राष्ट्रपति को
संशोधन D.L.R.M.P. व R.O.A. Act
को धारा 88 के तहत तहसीलदार
प्रशासनिक कोड फंड में निवेश
के अंतर्गत खातों के हिसाब द्वारा
करने के अंतर्गत तहसीलदार प्रशासनिक कोड
को निर्णय प्राप्त हो। निर्णय व फंड में
निवेश की प्रति तहसीलदार प्रशासनिक कोड
को भिजाई जाये।

कुलाल वैवा
वामन
शमशेर वैवा

पत्राचार के माध्यम से
जिससे कि यह वाद समाप्त हो
सकता है।
निर्णय सुनिश्चित रूप से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

